

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद शाहजहांपुर में एन०एच०-30 (किमी० 294.315 से किमी० 325.00) एन०एच०-30 (किमी० 325.00 से किमी० 341.00 तक) लगभग 42.905 किमी० तथा एन०एच०-731 (किमी० 82.810 से किमी० 114.265 तक) जी०आई०सी० से अटसलिया फाटक पी०डब्लू०डी० रोड 3.80 किमी० शाहजहांपुर रोड पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.0945 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/149929/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-भा०स०-96/81-2-2022-800(247)/2022 दिनांक 14 सितम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 13-09-2022 19:13:43

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,